न्यायालयः—षष्ठम् व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खंड
जिला खंडवा (म0प्र0)
(समक्ष : विपेन्द्र सिंह यादव)

Ragistration No. Ex'A'/2/2021
Filling No. 298/2021
CNR No. MP1201-001689-2021
Filling Date. 22-01-2021

01. ओमप्रकाश पिता सुंदरलाल व अन्य

............आज्ञप्तिधारी

—::विरूद्ध::—

01. मोहम्मद रशीद (मृत) द्वारा विधिक वारसान मोहम्मद युनुस व अन्य **............निर्णीतऋणी**

31-10-2022

आज्ञप्तिधारी एवं उनके अधिवक्ता अनुपस्थित।

निर्णितऋणी कमांक 1 अनुपस्थित।

निर्णितऋणी कमांक 3 व 4 द्वारा श्री जितेन्द्र सेठी अधिवक्ता।

निर्णितऋणी कमांक 5 एकपक्षीय।

निर्णितऋणी कमांक 2 व 6 अनिर्वाहित।

प्रकरण निर्णितऋणी कमांक 2 व 6 की उपस्थिति हेतु लंबित है।

प्रकरण के अवलोकन से प्रकट है कि प्रकरण में डिकीधारी की ओर से विगत् 3—पेशी दिनांक से अनिवार्हित निर्णीतऋणी पर सूचना पत्र की तामील हेतु विधिवत् तलवाना शुल्क अदा नहीं किया जा रहा है। आज डिकीधारी एवं उनके अधिवक्ता अनुपस्थित हैं। भृत्य के माध्यम से डिकीधारी अधिवक्ता श्री आर. सी. लोनकर को बुलवाया गया, उनके द्वारा प्रकरण में उपस्थित होने से इंकार करते हुये व्यक्त किया गया कि डिकीधारी द्वारा प्रकरण के संचालन में कोई रूचि नहीं ली जा रही है, न ही उन्हें कोई निर्देश दिये गये हैं। अवलोकनीय है कि डिकीधारी के द्वारा विगत् 3—पेशी तिथियों से अनिर्वाहित निर्णितऋणी कमांक 2 व 6 पर तामील हेतु तलवाना अदा करने हेतु व्यतिकम किया जा रहा है। आज बिना कारण डिकीधारी उपस्थित हैं, जिससे प्रकट है कि उनके द्वारा प्रकरण के संचालन में कोई रूचि नही ली जा रही है, एसी स्थिति में प्रकरण में कार्यवाही जारी रखना औचित्यपूर्ण व न्यायसंगत नहीं है।

अतः तलवाने के व्यतिकम में डिकीधारी का आवेदन **निरस्त** किया जाता है।

प्रकरण का परिणाम संबंधित पंजी में दर्ज कर, अभिलेख विहित अवधि में अभिलेखागार में जमा किया जावे।

सही/—
विपेन्द्र सिंह यादव
षष्ठम् व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खंड
जिला—खंडवा म0प्र0।